सं0सं0–'3/विविध–01–39/2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

1020(3)
17.11.2026

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

न्यायालीय
मामला

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषयः **स्व0 (डा0) कुमार आदेश चन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद का लंबित जीवनकालीन बकाया/सेवान्त लाभों, उपदान एवं अन्य अनुमान्य भुगतान उनकी पत्नी/उत्तराधिकारी के पक्ष में करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **स्व0 (डा0) कुमार आदेश चन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद का लंबित जीवनकालीन बकाया/सेवान्त लाभों, उपदान एवं अन्य अनुमान्य भुगतान उनकी पत्नी/उत्तराधिकारी** के पक्ष में किए जाने हेतु अवमाननावाद सं0 2231/2021 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया है।

02 विदित हो कि, **स्व0 (डा0) कुमार आदेश चन्द्र श्रीवास्तव** को पदीय कार्य हेतु पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण स्वीकार करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 552(9) दिनांक 14.05.2010 संशोधित संकल्प 979(9) दिनांक 26.08.2010 एवं संशोधित संकल्प सं0 105(9) दिनांक 17.01.2012 से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । पुनः विभागीय अधिसूचना सं0 563(9) दिनांक 20.06.2011 द्वारा सेवानिवृति की तिथि–31.12.2010 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1377(9) दिनांक 19.12.2012 के द्वारा दिनांक 31.12.2010 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया ।

03. तदोपरान्त, विभागीय अधिसूचना सं0 05(9) दिनांक 02.01.2014 द्वारा **स्व0 (डा0) श्रीवास्तव** के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही के आरोप में देय पेंशन तथा उपदान की शतप्रतिशत राशि जब्त करने का दंड अधिरोपित किया गया।

04. **स्व0 (डा0) श्रीवास्तव** द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0 7359/2014 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 14.08.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश से **स्व0 (डा0) श्रीवास्तव** के विरूद्ध अधिरोपित पेंशन तथा उपदान की शत प्रतिशत राशि जब्त करने संबंधी दंड को निरस्त कर दिया गया है। उक्त पारित आदेश के आलोक में अपील वाद सं0 441/2022 दायर किया गया, जिसे दिनांक 10.09.2025 को पारित आदेश से रद्द कर दिया गया।

05. उपर्युक्त तथ्यों को अनुशानिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त तथा पारित न्यायालीय निर्णय के अनुपालन हेतु विभागीय अधिसूचना सं0 1700(9ए) दिनांक 13.11.2026 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 05(9) दिनांक 02.01.2014 से **स्व0 (डा0) श्रीवास्तव** के विरूद्ध अधिरोपित दंड को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

06. अतः वर्णित स्थिति में **स्व0 (डा0) श्रीवास्तव** को उनके सेवानिवृति की तिथि–31.12.2010 से शत प्रतिशत पेंशन एवं उपदान की स्वीकृति प्रदान करते हुए इनकी मृत्यु की तिथि 18.01.2019 के उपरान्त अनुमान्य पेंशन, उपदान एवं जीवनकालीन बकाया अथवा अन्य अनुमान्य लाभ का भुगतान उनकी पत्नी/उत्तराधिकारी के पक्ष में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

07. मामला अवमाननावाद से संबंधित है जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 19.11.2026 को निर्धारित है ।

08. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: 1020(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 17.11.2026

प्रतिलिपिः निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, **पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः **स्व0 (डा0) कुमार आदेश चन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद, पत्राचार का पता–पुत्र–श्री अभय कुमार, फ्लैट नं0–13–101, शुभाषनी रेसिडेंट, यारपुर, रोड नं0–01, गर्दनीबाग, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः विभागीय पी०एम०यू०लिड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः **आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

Vinod Pathak 17/11/26
सरकार के उप सचिव